

**अनुदान संख्या 20 - रक्षा पेंशन**  
**GRANT No. 20-DEFENCE PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	26,00	22,25	-3,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-	10999,74,00	10999,44,43	-29,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन एवं अन्य	Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits	1099974.00	1099944.43	-29.57

(I) शीर्ष "रक्षा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Under "Defence"- savings occurred under the following heads:-

(का) "नौ सेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 6218.72 लाख रु. की बचत (31124.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(A) "Navy-Pension and Other Retirement Benefits"-saving of Rs.6218.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.31124.20 lakhs); and

(खा) "वायु सेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ"- 3873.48 लाख रु. की बचत (63607.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Air Force-Pension and Other Retirement Benefits"-saving of Rs.3873.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.63607.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, प्रत्याशा से कम संख्या में सेवानिवृत्तियों होने तथा बजट अनुमान चरण पर प्रत्याशा से कम महंगाई राहत स्वीकृत होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less number of retirees than anticipated and sanction of lower dearness relief than anticipated at budget estimates stage.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन “रक्षा” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “सेना”-

(का) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- 1637.45 लाख रु. का अधिक व्यय (974171.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपरेशन पराक्रम के अंतर्गत अन्य रैंकों के सेवाकालीन अनिवार्य प्रतिधारण से संबंधित खंड को हटाए जाने की वजह से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रत्याशा से अधिक वृद्धि होने तथा प्रत्याशा से अधिक संख्या में परिवार पेंशनरों के होने के कारण हुआ।

(खा) “पुरस्कार” - 700.01 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के पदकों की खरीद के कारण हुआ।

(गा) “छुट्टी नकदीकरण” - 4587.63 लाख रु. का अधिक व्यय (24673.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपरेशन पराक्रम के अंतर्गत अन्य रैंकों के सेवाकालीन अनिवार्य प्रतिधारण से संबंधित खंड को हटाए जाने की वजह से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रत्याशा से अधिक वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) “वायु सेना - छुट्टी नकदीकरण” - 3101.78 लाख रु. का अधिक व्यय (3883.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक छुट्टी नकदीकरण के मामले प्राप्त होने की वजह से वर्ष 2003-04 के दौरान व्यय की बढ़ी हुई प्रवृत्ति होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under “Defence” under the following heads:-

(I) “Army”-

(A) “Pension and other Retirement Benefits”- excess of Rs.1637.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.974171.00 lakhs) was due to increase in number of retirees than anticipated owing to lifting of clause regarding compulsory retention in service of Other Ranks under Operation Prakarm and due to more number of family pensioners than anticipated.

(B) “Rewards”-excess of Rs.700.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to purchase of different types of Medals for service.

(C) “Leave Encashment”-excess of Rs.4587.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24673.50 lakhs) was due to increase in number of retirees than anticipated owing to lifting of clause regarding compulsory retention in service of Other Ranks under Operation Prakarm.

(II) “Air Force-Leave Encashment” - excess of Rs.3101.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3883.50 lakhs) was due to increased trend of expenditure during 2003-04 owing to more encashment of leave than anticipated.